>

Title: Need to amend the protection of Wild Life Act with a view to compensate the loss of life and property due to wild animals activities.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं जंगलों में जो वन्य प्राणी हैं, उनके कारण जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वन्य संरक्षण और संवर्द्धन के कानून और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है यह हम जानते हैं लेकिन वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है मैं उस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां वन्य क्षेत्र बहुल है, वहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर, जिला गढ़चिरौली आता है। वहां यह स्थिति है कि जहां अभ्यारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट या टाइगर बुलेट है, इन सभी के अगल-बगल में जितनी खेत हैं, जिनमें कृषक खेती करते हैं वहां वन्य प्राणी रात में घुसकर खेती का नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में रिजर्व फॉरेस्ट और अभ्यारण्य की वजह से बड़ी तादाद में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है। इससे समस्या ऐसी खड़ी हुई है कि वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है, बाघों की संख्या बढ़ी है और पिछले तीन माह में हमारे जिले में करीब 17 व्यक्तियों पर हमला हुआ है, बाघों के हमले से 17 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 50 ग्रामीण व्यक्ति घायल हुए हैं। इनमें कुछ विद्यार्थी भी हैं। इस वजह से जनता में भारी रोष है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वन्य प्राणियों को समाप्त किया जाए, लेकिन वन्य प्राणियों से लोगों की फसल का जो नुकसान हो रहा है तथा लोगों की जो जानें जा रही हैं, उनकी जानें न जाएं, इसके लिए सरकार कानून में संशोधन करे या राज्य सरकार को निर्देश दे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में फसल का नुकसान होने पर सरकार जो मुआवजा देती है, वह नगण्य है। एक-एक एकड़ भूमि के लिए 90 रुपए या 100 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वन्य जीव कानून सरकार ने बनाया है, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे। किसानों को भी इस कारण नुकसान होता है, इसके लिए भी सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई देने की पहल करे। बाघों के हमले से जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिजनों को कम से कम पांच लाख रुपए प्रति कुटुम्ब देने की मैं मांग करता हूं।